न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस

मुकदमा न. 128/2025

1. ओमवीर सिंह पुत्र जसरथसिंह
2. भीमसिंह पुत्र जसरथसिंह
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र जसरथसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी हसामपुर तहसील पाटन जिला सीकर राज.।

—वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
2. गिनोडी पत्नी प्रभूदयाल जाति यादव निवासी छाजा की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर राज.।
3. उपपंजियक पाटन जिला सीकर।
4. भूमिधारी जरिए तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थित वादी की ओर से:– श्री रोशन लाल अग्रवाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से:– श्री मुरारी लाल शर्मा एडवोकेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.12.18 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

निर्णय

दिनांकः– 24.09.2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र मुख्य रूप से विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2025 तथा 07.07.2025 को अवैध व शून्य घोषित कराने की घोषणा की सहायता प्राप्त करने हेतु पेश किया हैं। कानूनन विक्रयपत्रों को निरस्त कराने के वादो में श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। ऐसे वाद राजस्व न्यायालय को विधि द्वारा वर्जित हैं। इस कारण वाद वादीगण चलने योग्य नही हैं। वादीगण द्वारा वादपत्र में नामान्तरकरण सं0 526 व 529 को निरस्त कराने की सहायता चाही हैं। कानूनन यदि किसी पक्ष को नामान्तरकरण के विरूद्व एतराज हैं तो वह सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर सकता हैं। इस कारण वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज फरमाने की कृपा करें।

वकील प्रार्थी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थी के अभिकथनो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद वास्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत नही किया गया हैं बल्की सही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैं। वादीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 526 व 529 को निरस्त कराने की सहायता चाही हैं वह आनुसांधिक सहायता होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। अलग से अपील पेश करना आवश्यक नही हैं। प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा इकरारनामा व विक्रय पत्र में [illegible] नही की जिस कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं. 1 को उक्त भूमि में कब्जा प्रदान नही किया गया इस वजह से प्रतिवादी नं. 1 के हक में कराया गया विक्रय पत्र ही अवैध व शून्य होने के कारण उसे कोई अधिकार प्रतिवादिया नं. 2 को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.12.18 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

भूमि विक्रय करने का नही था। अतः ऐसे मामले में सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 का उद्धरण यहाँ प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं:—

Rejection of plaint:- The plaint shall be rejection in the following cases:-

a) Where it does not disclose a cause of action;
b) Where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;
c) Where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper with in a time to be fixed by the court, fail to do so;
d) Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;
e) Where it is not filed in duplicate;
f) Where the plaintiff fails to comply with the provision of rule 9;

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.12.18 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित (Barred by law) होने के कारण दावा खारिज करने हेतु पेश किया गया हैं।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि उक्त वादपत्र न्यायालय हजा में वादी द्वारा इकरारनामा व विक्रय पत्र में अंकित राशि अदा नही किये जाने को आधार मानकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 27.06.2025 व 07.07.2025 को शून्य घोषित कराने तथा नामान्तरकरण संख्या 526 व 529 को निरस्त कराने की सहायता प्राप्त करने के लिए पेश किया हैं।

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित राशि अदा नही किये के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत विधि द्वारा वर्जित (Barred by law) होने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर वादपत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.12.18 14:57:42 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना